न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 11/2020

बउनवान

1. मनभरबाई पुत्री श्रीकिशन जाति मीणा निवासी पचेलकलां तहसील अंता हाल मुकाम नया भदाना श्री लक्ष्मीनारायण जी के मंदिर के पास नयागांव रोड तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. द्वारकाबाई पुत्री श्रीकिशन जाति मीणा निवासी पचेलकलां तहसील अन्ता हाल मुकाम वार्ड नं. 3 बम्बोरी तहसील अन्ता जिला बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

1. रघुवीर मीणा पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा निवासी पचेलकलां तहसील अन्ता जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता जिला बारां **(रेंस्पोडेंट्स)**

अपील विरूद्ध इंतकाल नं. 310 दिनांक 04.10.2004
अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

उपस्थिति :– 1. श्री ओम भारद्वाज एडवोकेट **(अपीलांट)**
2. श्री हरिओम चर्तुवेदी एडवोकेट **(रेस्पो. क्रम 1)**

निर्णय दिनांक 28.10.2022

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. क्रम 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र ग्राम पचेलखुर्द तहसील अन्ता की आराजी खाता संख्या 162 की किता 9 रकबा 9.98 है. भूमि के 1/2 हिस्से की कूटरचित वसीयत के आधार पर राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया जिसका इंतकाल क्रमांक 310 दिनांक 05.10.2004 रेस्पो. क्रम 1 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया, जबकि उक्त आराजी अपीलांटगण के पिता की पुश्तैनी आराजीयात थी जिस पर अपीलांटगण का पुश्तैनी आराजीयात होने के कारण जन्म से ही अधिकार था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर कोई गौर नही कर अपीलांटगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के काराण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूराजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए वसीयत की वैधता के [illegible] तथा दिनांक 16.09.2004 को हल्का पटवारी की रिपोर्ट में अंकित सजरे में दो [illegible] होने के बाद भी अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कि[illegible] वसीयत की जांच में वसीयतकर्ता के समस्त जीवित वारिसान को [illegible] पारित किया जाना [illegible]यक है। भूराजस्व अधिनियम तथा राजस्व मण्डल नियमानुसा[illegible] कोई भी नामान्तकरण [illegible] जांच के पश्चात एक माह में तस्दीक करने का प्रावधान है, [illegible]की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 13.09.2004 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण दिनांक 01.10.2004 को करते हुए पालना महज 4 दिन में करते हुये रेस्पोडेन्ट्स क्रम 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.21 12:53:32 IST
Reason: SelfAttested

अंकित कर दिया गया, इससे रेस्पो. क्रम 1 व 2 के बीच कोई मिलीभगत स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाते हुये, उक्त प्रकरण में पक्षकारो को अपनी जवाबदेही एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हये गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किये जाने का आदेश फरमावे।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पो. क्रम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. क्रम 1 द्वारा ग्राम पचेलखुर्द तहसील अन्ता की आराजी खाता संख्या 162 की किता 9 रकबा 9.98 है. भूमि के 1/2 हिस्से की कूटरचित वसीयत के आधार पर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया जिसका इंतकाल क्रमांक 310 दिनांक 05.10.2004 रेस्पो. क्रम 1 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया, जबकि उक्त आराजी अपीलांटगण के पिता की पुश्तैनी आराजीयात थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2004 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का मात्र 18 दिन में निस्तारण दिनांक 01.10.2004 को करते हुए पालना महज 4 दिन में करते हुये रेस्पोडेन्ट्स क्रम 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया। जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाते हुये, उक्त प्रकरण में पक्षकारो को अपनी जवाबदेही एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हये गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किये जाने का आदेश फरमावे।

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने कथन किया कि अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्टस की जाति मीणा होने के कारण उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 लागू नही होती है, तथा मीणा जाति में पुत्री को विरासत में सम्पत्ति के किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होते। बडा पुत्र सुखवीर गोद चला गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 01.10.2004 को पारित किया गया। निर्णय के 15 वर्ष उपरान्त अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। वसीयत के आधार पर भूमि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के नाम दर्ज हुई है। उक्त आराजी पुश्तेनी होना स्वीकार है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने विधिक दृष्टांत आर एल ड्ब्ल्यू 2006 (2) आर जे पृष्ठ संख्या 695 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नंबर 4363/1997 में पारित निर्णय दिनांक 01.02.2006 बउनवान गुलाब बनाम राजस्व मंडल राजस्थान व अन्य [illegible] पेश [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.21 12:53:32 IST
Reason: SelfAttested

रिपीटल में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये [illegible] नामान्तरकरण खोला जाकर तस्दीक किया गया। हक अधिकार [illegible] लिए अधिनस्थ न्यायालय सक्षम है। अधीनस्थ न्यायालय ने फौती नामातंरकरण नही खोला, वसीयत के आधार पर नामांतकरण खोला गया है। नामांतकरण खोलते समय समस्त उत्तराधिकारियों को सुनना आवश्यक था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमावें।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है। अपीलांट द्वारा आराजीयात पुश्तैनी होना बताया है जिसके आधार पर उनका जन्म से ही विवादित आराजियात पर अधिकार होना बताया है। परन्तु विवादित आराजियात पुश्तैनी होने के संबंध में अपीलांट द्वारा कोई सबूत नही पेश किये गये है।

यह सही है कि अपीलांट श्री किशन की वारिसान है। तहसीलदार अन्ता द्वारा वसीयत के आधार पर नामातंकरण दर्ज किया है, तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया। जबकि श्री किशन के समस्त वारिसान की सुनवाई कर नामातंकरण दर्ज करने के आदेश पारित करने चाहिए थे।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार अन्ता के आदेश दिनांक 01.10.2004 व नामातंकरण संख्या 310 दि0 05.10.2004 निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार अन्ता को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि श्री किशन के समस्त वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.21 12:53:32 IST
Reason: SelfAttested